आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, खूँटी

आर0डी0 अपील वाद संख्या– 43R15/99-2000

टी0आर0 नं0 – 10R15/08-09

तारामणि .... अपीलकर्त्ता

बनाम्

राम गोपाल बाबु .... विपक्षी

आदेश

07.05.10

यह अपील आवेदन तारामणि पत्नी स्व0 मोहन स्वांसी, ग्राम चैनपुर, थाना अड़की जिला रांची वर्त्तमान जिला खूँटी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के द्वारा वाद संख्या आर0डी0 217/96–97 में दिनांक 29.01.99 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

विवादित भूमि निम्न प्रकार है :–

ग्राम	थाना	खाता नं0	प्लॉट नं0
चैनपुर	अड़की	86	42

उभय पक्षों को विधिवत सूचना निर्गत की गई तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। तामिला प्रतिवेदन तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है। विपक्षी द्वारा लिखित बहस दाखिल किया गया है जो अभिलेख में संलग्न है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क सुना। अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अपीलकर्त्ता रैयतदार है तथा विपक्षी को मालगुजारी लेने का अधिकार है परन्तु विपक्षी द्वारा इन्कार किया जा रहा है। खाता नं0– 86 जगरनाथ स्वांसी के नाम दर्ज है। अपीलकर्त्ता के वंशजो द्वारा मालगुजारी देने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु विपक्षी द्वारा लेने से इन्कार किया जा रहा है अतः मालगुजारी सरकारी खाजाने में जमा करने हेतु अनुरोध किया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय में मालगुजारी जमा करने हेतु

आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गत कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
	अनुरोध किया गया था जिसे दिनांक 29.01.99 को रद्द कर दिया गया। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है। इसके विपरीत विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि प्रश्नगत भूमि जगरनाथ स्वांसी और मुण्डा स्वांसी पे0 लखीराम स्वांसी का नाम अधबटाईदार दर्ज है। खेवट नं0–11 मौजा चैनपुर थाना अड़की के आर0एस0 खतियान में जमीन्दार बलराम नायक दर्ज है। प्रश्नगत भूमि सी0एस0 खतियान के खेवट नं0–11 में मुची मुण्डा पे0 छोटु मुण्डा खेवटदार दर्ज है। जो कि जमीन्दार दुबराज मुण्डा (खेवट नं0 4 के) को खरपोश हेतु दिया गया था उसके बाद से दखल कब्जा में है। अपीलकर्त्ता को मालगुजारी जमा करने का कोई अधिकार नहीं है। मुची मुण्डा के बाद उनके पुत्र जोगेन्द्र बाबु दखलकार हुए तथा जोगेन्द्र बाबु के मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र रामगोपाल बाबु उक्त विवादित जमीन पर खास दखलकार हुए। रिवीजनल सर्वे में खेवटदार जोगेन्द्र बाबु पे0 स्व0 मुची (बाबु) मुण्डा के नाम दर्ज हुआ। जोगेन्द्र बाबु मौजा चैनपुर के खेवट नं0– 3/1 के मुण्डारी खुटकट्टीदार थे। जोगेन्द्र बाबु द्वारा खेवट नं0–9 का बलराम मोदक पो0 जथु मोदक के नाम मोकररी बन्दोबस्त किया गया। बलराम मोदक द्वारा रजिस्ट्री द्वारा खेवट नं0–10 का जरपेशगी दिनांक 03.07.1925 तक मिठु साहु पे0 चुनी साहु को दिया गया। मिठु साहु खेवटदार द्वारा 1982 से 1986 संवत तक ठीका में बलराम मोदक पे0 जठु मोदक को दिया गया। बलराम मोदक ने अधबटाई हेतु जगरनाथ स्वांसी एवं मुण्डा स्वांसी पे0 लखीराम स्वांसी का नाम रिवीजनल सर्वे के दौरान बलराम मोदक का अधबटाईदार दर्ज हो गया। बलराम मोदक की निशंतान मृत्यु हो गई उसके बाद खेवट नं0–7 के अलावा अन्य जमीन पर खुटकट्टीदार राम गोपाल बाबु दखलकार हुए। अपीलकर्त्ता का खतियानी रैयत से कोई रिश्ता नहीं है तथा वे सम्पत्ति पाने के हकदार नहीं है। अपीलकर्त्ता का कथन है कि धारा 55 एवं 56 सी0एन0टी0 एक्ट के अन्तर्गत वाद संख्या RD75/79-80 जो रूका कुम्हार और जोगेन्द्र बाबु के बीच हुआ	

आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
	था। जिसमें जोगेन्द्र बाबु को ही जमीन का मालिक घोषित किया गया तथा मालगुजारी वसूल करने का अधिकार प्राप्त हुआ। विपक्षी के पिता की मृत्यु के पश्चात् उक्त जमीन पर दखलकार हुए। अतः विपक्षी द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने पक्ष में निम्न कागजातों को दाखिल किया गया है। 1. आर0एस0 खतियान ग्राम चैनपुर, थाना अड़की, खाता नं0–86 प्लॉट नं0– 42 का। 2. आर0एस0 खेवट ग्राम चैनपुर, थाना अड़की खेवट नं0– 7 से 11 तक का। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का पक्ष सुना तथा अपील, आवेदन, लिखित बहस, निम्न न्यायालय का अभिलेख तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपील निराधार है। अतः अपील को रद्द करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को Upheld किया जाता है एवं समाप्त किया जाता है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को दिखायें। लेखापित एवं संशोधित। 7/5/10 उपायुक्त खूँटी। 7/5/10 उपायुक्त खूँटी।	35/–210 14-07-12 L.C.R. send